



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- झुन्झुनू में सहायक उप निरीक्षक 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 22 मार्च गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज झुन्झुनू में कार्यवाही करते हुये दलीप कुमार सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुन्झुनू को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के रिश्तेदार के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एक आरोपी के विरुद्ध चालान पेश करने तथा शेष आरोपियों को मुलजिम नहीं बनाने की एवज में दलीप कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुन्झुनू द्वारा 25 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज श्री सुरेशचन्द्र पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलीप कुमार पुत्र श्री सन्तासिंह निवासी अच्छापुर तहसील राजगढ़ जिला चूरु। हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुन्झुनू को परिवादी से 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।